Result Mitra Daily Magazine

भारत में बच्चा गोद लेने की वास्तविक स्थिति व सैद्धांतिक स्थिति में व्याप्त विषमताएँ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में तेलंगाना और पड़ोसी आंध्र प्रदेश में अवैध रूप से बच्चों को गोद लेने के एक गुप्त नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिससे परिवार बिखर गए हैं।
- हज़ारों लोग बेसब्री से माता-पिता बनने के मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कानूनी रूप से गोद लेने के लिए उपलब्ध बच्चों की कमी ने कई लोगों को अवैध तरीकों का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है।

एक नजर हालिया घटना पर

- 27 अप्रैल को पूर्वी हैदराबाद के आवासीय इलाके में स्थित चार मंजिला अपार्टमेंट में जश्न का दिन था।
- यह ध्रुव का पहला जन्मदिन था, जिसमें परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने अपने नजदीकी क्लिनिक में डॉक्टर के माध्यम से लड़के को 'लाने' के लिए 45 लाख रुपये खर्च किए थे। हालांकि, जल्द ही यह जश्न एक चौंकाने वाले खुलासे से फीका पड़ गया।
- क्योंकि शिशुओं की अवैध बिक्री में कथित संलिप्तता के लिए डॉक्टर शोभारानी को गिरफ्तार कर लिया।
- ध्रुव के 'माता-पिता' श्वेता (32) और श्लोक (35) की शादी को 13 साल हो चुके थे, लेकिन वे गर्भधारण करने में असमर्थ थे।
- उनका अपार्टमेंट शोभारानी के क्लिनिक से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर था।

Result Mitra

- ध्रुव को उस समय इस दंपत्ति को बेच दिया गया था जब वह मात्र 10 दिन का था।

- माता-पिता बनने की चाहत में श्वेता और श्लोक अंतरराज्यीय स्तर पर फैले बच्चों की बिक्री के धंधे में फंस गए।
- 40 की उम्र के आखिरी पड़ाव में दो बच्चों की मां शोभारानी को दंपत्ति के दानशील स्वभाव, खास तौर पर बच्चों की शिक्षा में सहयोग करने की उनकी इच्छा के बारे में पता था।
- इस जानकारी का लाभ उठाते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि वे एक 'एनजीओ' को नकद में ही भुगतान करें।
- उन्होंने दावा किया कि स्वैच्छिक संगठन गरीब परिवारों के बच्चों को उन लोगों से मिलाता है जो उन्हें बेहतर जीवन प्रदान कर सकते हैं।
- ये उन कई कहानियों में से सिर्फ़ एक हैं, जिनमें जोड़े अवैध रूप से बच्चे खरीदने के लिए लालच में फंस गए।

हताशा, धोखा और हानि

Resume

- ज़्यादातर जोड़ों को माता-पिता बनने का मौक़ा खोने का दुख झेलना पड़ा, वहीं कुछ को इससे भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा।
- शुरुआती जांच से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान दिल्ली और पुणे के रहने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ साल तक के करीब 60 शिशुओं की तस्करी दो तेलुगु भाषी राज्यों में वस्तुओं की तरह की गई है।
- 'शिशु की कीमत' इस बात पर निर्भर करती है कि दंपति कितने हताश हैं और वे कितने समय से शादीशुदा हैं और गर्भधारण नहीं कर पाए हैं।
- किसी भी ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह, इस सुव्यवस्थित नेटवर्क ने 24 से 48 घंटों में बच्चे को 'खरीदार' तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध रूप से काम किया।
- एक बार इच्छुक व्यक्ति द्वारा 'ऑर्डर' दिए जाने के बाद, बच्चे को उस क्षेत्र में लाया जाता था, ज़्यादातर ट्रेन से।
- फिर जोड़े को एक ख़ास जगह पर बुलाया जाता था, अक्सर देर रात को किसी सड़क या गली में।
- प्रत्यक्ष बिक्री के अलावा प्रजनन केंद्र इस रैकेट के लिए ग्राहकों का मुख्य स्रोत बने हुए हैं।
- दिलचस्प बात यह है कि 'परफेक्ट क्राइम' करने की चाहत में गिरोह ने बच्चों के रिकॉर्ड, फिजिकल ऑफिस, डॉक्यूमेंटेशन या मनी ट्रेल के बिना एक गैरसंस्थागत ऑपरेशन को बनाए रखने में कामयाबी हासिल की।
- कुछ मामलों में जहां जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज जारी किए गए थे, वे जाली और मनगढ़ंत पाए गए।
- जांच से पता चला है कि नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है।

मांग-आपूर्ति का अंतर

- दरअसल लंबी प्रतीक्षा अवधि और कानूनी गोद लेने के लिए शिशुओं की कमी ने देश में ऐसे गिरोहों के लिए काम करने का रास्ता खोल दिया है।
- तेलंगाना राज्य में वर्तमान समय में 1,816 जोड़े कानूनी गोद लेने के लिए कतार में हैं, जबकि गोद लेने के लिए केवल 144 बच्चे उपलब्ध हैं, जिनमें से 93 की विशेष ज़रूरतें हैं।
- इसके अलावा, लगभग हमेशा छह साल से अधिक उम्र के 10-15 बच्चे सात दिवसीय पोर्टल पर तत्काल प्लेसमेंट के लिए उपलब्ध होते हैं।

Result Mitra

- हालांकि भारतीय दंपत्ति आमतौर पर विशेष जरूरतों वाले बच्चों या छह साल से अधिक उम्र के बच्चों को गोद लेने में हिचकिचाते हैं।
- हल्के शारीरिक और/या मानसिक विकलांगता वाले बच्चों को अक्सर अमेरिका, कनाडा, स्पेन, इटली और न्यूज़ीलैंड के अंतरदेशीय माता-पिता द्वारा गोद लिया जाता है।
- लड़की के लिए औसत प्रतीक्षा समय 3.5 से 4 साल है, जबकि लड़कों के लिए, गोद लेने वाले पूल में लड़कों की कमी के कारण यह 4 से 4.5 साल के बीच है।
- गौरतलब है कि भारतीय जोड़े अक्सर यह महसूस करने के बाद भी कि वे बच्चा पैदा नहीं कर सकते, विभिन्न विकल्पों पर विचारविमर्श करने में काफी समय बर्बाद कर देते हैं, जिससे गोद लेने की प्रक्रिया में देरी होती है।
- नतीजतन, हाल ही में राज्य में 'रिश्तेदार गोद लेना' आम हो गया है, हर महीने कम से कम 10 मामले दर्ज किए जाते हैं।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)

- भारत ने 1990 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत CARA की स्थापना की थी, ताकि विदेशों में रहने वाले भारतीयों और अनिवासी भारतीयों के लिए, बच्चों के सर्वोत्तम हित में, बाल गोद लेने की प्रक्रियाओं की देखरेख की जा सके।
- इन प्रक्रियाओं में बच्चों और भावी माता-पिता के लिए पंजीकरण को केंद्रीकृत करना, गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना, बच्चों को संदर्भित करना, आदेश तैयार करना और गोद लेने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।
- अंतरदेशीय गोद लेने को विनियमित करने के लिए, CARA ने 1993 के बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए।
- यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता सीमाओं से परे बच्चा गोद लेने की सुविधा प्रदान करता है ताकि "ऐसे बच्चे के लिए एक स्थायी परिवार मिल सके जिसके लिए उसके मूल राज्य में कोई उपयुक्त परिवार नहीं मिल पाता" और "बच्चों के अपहरण, बिक्री या तस्करी को रोका जा सके।"
- भारत ने वर्ष 2003 में इस कन्वेंशन की पुष्टि की।

गोद लेने के लिए कौन पात्र है?

जे.जे. अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत, किसी अनाथ, परित्यक्त या आत्मसमर्पित बच्चे को, जिसे बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र प्रमाणित किया गया हो, गोद लिया जा सकता है।

ResultMitra

किसी रिश्तेदार के बच्चे (चाचा या चाची, मामा या मौसी, या दादादादी या नानानानी) को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (जे. जे. अधिनियम) की धारा 2 की उपधारा 52 के तहत गोद लेने हेतु परिभाषित किया गया है।

गोद लेने की पात्रता

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी दत्तक ग्रहण विनियम 2017 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:
- शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक रूप से स्थिर व्यक्ति, जिसकी कोई जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति न हो, गोद लेने के लिए पात्र है।
- विवाहित जोड़े के पास दोनों पतिपत्नी की सहमति से कम से कम 2 साल का ठोस वैवाहिक संबंध होना चाहिए, और उनकी संयुक्त आयु 110 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एक अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, जबकि एक अकेला पुरुष लड़की को गोद नहीं ले सकता। एकल अभिभावक के लिए आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बच्चे और संभावित दत्तक माता-पिता के बीच न्यूनतम आयु का अंतर 25 वर्ष होना चाहिए।
- संबंधित या सौतेले माता-पिता द्वारा गोद लिए जाने पर आयु मानदंड लागू नहीं होते।
- तीन या अधिक बच्चों वाले जोड़ों को आम तौर पर गोद लेने के लिए पात्र नहीं माना जाता है, जब तक कि वे विशेष जरूरतों वाले बच्चों को गोद नहीं ले रहे हों या जिन्हें रखना मुश्किल हो।
- निवासी और अनिवासी भारतीय, साथ ही भारत के विदेशी नागरिक और विदेशी माता-पिता , देश से बच्चों को गोद ले सकते हैं।
- चार वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने के लिए दम्पति के लिए अधिकतम समग्र आयु 90 वर्ष है, और एकल अभिभावक के लिए यह 45 वर्ष है।
- चार वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने के लिए दम्पति के लिए अधिकतम समग्र आयु 100 वर्ष है, जबकि एकल अभिभावक के लिए यह 50 वर्ष है।
- यदि आठ से 18 वर्ष के बीच के बच्चे को गोद लिया जाता है, तो दम्पति के लिए अधिकतम आयु सीमा 110 वर्ष और एकल अभिभावक के लिए 55 वर्ष है।

भारतीय माता-पिता के लिए गोद लेने की प्रक्रिया

ResultMitra

- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 58 भारत में रहने वाले भारतीय भावी दत्तक माता-पिता के लिए प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
- इन माता-पिता के पास निर्दिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त या आत्मसमर्पण किए गए बच्चे को गोद लेने का अवसर होता है।
- यह सर्वव्यापी नीति यह गारंटी देती है कि गोद लेने के विकल्प सभी के लिए खुले हैं।
- गोद लेने की प्रक्रिया में प्रारंभिक चरण में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा आयोजित एक गृह अध्ययन रिपोर्ट शामिल है।
- यह रिपोर्ट गोद लेने के लिए भावी दत्तक माता-पिता की उपयुक्तता का मूल्यांकन करती है, जिसमें उनके रहने की स्थिति, वित्तीय स्थिरता और देखभाल करने वाला वातावरण प्रदान करने की तत्परता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
- यदि माता-पिता योग्य पाए जाते हैं, तो एजेंसी उन्हें ऐसे बच्चे से मिलाएगी जो कानूनी रूप से गोद लेने के लिए उपलब्ध है। इस मिलान में एक व्यापक बाल अध्ययन रिपोर्ट और बच्चे के मेडिकल रिकॉर्ड शामिल हैं।
- मिलान प्राप्त करने पर, भावी दत्तक माता-पिता को बाल अध्ययन रिपोर्ट और मेडिकल रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए।
- यदि वे गोद लेने के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, तो वे आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं और उन्हें एजेंसी को वापस कर देते हैं।
- इसके बाद एजेंसी दत्तक माता-पिता के साथ गोद लेने को अंतिम रूप देने से पहले बच्चे को पालक देखभाल में रखने की व्यवस्था करती है और आधिकारिक गोद लेने के आदेश के लिए अदालत में आवेदन प्रस्तुत करती है।
- यह अंतिम चरण सुनिश्चित करता है कि गोद लेने को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है और यह बाध्यकारी है।
- एक बार जब अदालत गोद लेने का आदेश जारी कर देती है, तो विशेष गोद लेने वाली एजेंसी भावी दत्तक माता-पिता को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करती है।
- यह दस्तावेज़ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गोद लेने की वैधता की पुष्टि करता है, जिससे माता-पिता बच्चे को अपने परिवार में एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।।
- **दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई**
- गोद लेने के बाद बच्चे की भलाई धारा 58 के तहत कवर किया गया एक महत्वपूर्ण पहलू है।
- अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि गोद लिए गए बच्चे की प्रगति और कल्याण की नियमित रूप से निगरानी की जाए।

ResultMitra

- विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी बच्चे के अपने नए घर में समायोजन और विकास का अनुसरण करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह अनुवर्ती प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चा फल-फूल रहा है और उसे वह देखभाल और सहायता मिल रही है जिसकी उसे आवश्यकता है।

क्या बच्चा गोद लेने का अधिकार मौलिक अधिकार है?

- हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों को गोद लेने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।
- यह निर्णय दो बच्चों वाले माता-पिता को 'सामान्य बच्चे' को गोद लेने से रोकने वाले नियमों से संबंधित मामले के जवाब में आया था।
- न्यायालय ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गोद लेने के लिए प्राथमिकता देने के निर्णय का समर्थन किया, यहां तक कि लंबित गोद लेने के आवेदनों पर भी नई नीति लागू की।

Result Mitra